इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 10 अंक : 11 जून, 2019 पृष्ठों की संख्या 17

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------6
नयी नियुक्तियाँ----------7
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------7
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------8
संस्थान समाचार ----------9
प्रशिक्षण ---------- 14
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/

किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने हेतु कहा

प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थीकरण में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से सुस्पष्ट रूप से निर्धारित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) नियुक्त करने हेतु कहा है। गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक यह चाहता है कि जोखिम प्रबंधन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य करे।

इस उद्देश्य के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी को जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त व्यावसायिक योग्यता/अनुभव रखने वाला होना चाहिए। उक्त मुख्य जोखिम अधिकारी बोर्ड के अनुमोदन के साथ एक निश्चित/निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उक्त अधिकारी को उसके पद से केवल बोर्ड के अनुमोदन से ही समय-पूर्व स्थानांतरित /निष्काषित किया जा सकता है। ऐसे समय-पूर्व स्थानांतरण/निष्काषन से उक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के जिस क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन सूचीबद्ध हो उसे सूचित किया जाना चाहिए। मुख्य जोखिम अधिकारी की पदधारिता में किसी भी परिवर्तन से शेयर बाजारों को भी सूचित किया जाना चाहिए।

गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मुख्य जोखिम अधिकारी की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए नीतियाँ निर्धारित कर लेनी चाहिए। इस संबंध में मुख्य जोखिम अधिकारी को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जोखिम प्रबंधन समिति (RMC) अथवा बोर्ड को सीधे रिपोर्ट करने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट किए जाने की स्थिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बिना मुख्य जोखिम अधिकारी के साथ जोखिम प्रबंधन समिति/बोर्ड प्रबंधन समिति की कम से कम तिमाही आधार पर एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। मुख्य जोखिम अधिकारी का गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यवसाय क्षेत्रों के साथ किसी प्रकार की रिपोर्टिंग वाला संबंध नहीं होना चाहिए

तथा उसे कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। उसे कोई अन्य उत्तरदायित्व भी नहीं सौंपा जाना चाहिए। जोखिमों की पहचान करने, उनका मापन करने और उनके न्यूनीकरण की प्रक्रिया में मुख्य जोखिम अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए। मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा सभी ऋण उत्पादों (खुदरा एवं थोक) का परीक्षण/संवीक्षण अंतर्निहित एवं नियंत्रण जोखिमों के दृष्टिकोण से किया जाएगा। ऋण प्रस्तावों पर निर्णय लेने में मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका केवल एक सलाहकार होने तक ही सीमित होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल सकाल भुगतान/निपटान अंतरण की समय-सीमा बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक लेनदेनों (प्रारंभिक सीमा) के लिए तत्काल सकल भुगतान/निपटान की समय सीमा अपरान्ह 4.30 से बढ़ाकर अपरान्ह 6.00 बजे तक कर दी है। तत्काल सकाल भुगतान/निपटान प्रणाली प्राथमिक रूप से बड़े मूल्य वाले लेनदेनों के लिए है। तत्काल सकाल भुगतान/निपटान प्रणाली के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम रकम किसी प्रकार की ऊपरी या अधिकतम सीमा के बिना 2 लाख रुपए है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपोरेट ऋणों के लिए बाजार पर कार्य बल गठित किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य रूप से ऋण बाजार की कुशलता बढ़ाने और विशेष रूप से दबावग्रस्त आस्तियों के निवारण में सहायता करने के लिए कारपोरेट ऋणों के लिए

गौण बाजार के विकास पर एक कार्य बल गठित किया है। ऋण के लिए एक सुविकसित गौण बाजार से दिये-लिए जा रहे ऋण की अंतर्निहित जोखिमपूर्णता के पारदर्शी मूल्य-अन्वेषण में भी सहायता प्राप्त होगी। उक्त कार्य बल को कारपोरेट ऋणों अर्थात दबावग्रस्त आस्तियों के ऋण लेनदेन प्लेटफार्म में गौण बाजार के विकास को सुगम बनाने, ऋण संविदा रजिस्ट्री का सृजन करने, उसके स्वामित्व का ढांचा और ऋण आसूचना के मानकीकरण, स्वतंत्र वैधीकरण तथा डाटा अभिगम जैसे तत्संबंधी नयाचार निर्धारित करने के लिए आवश्यक नीतियाँ सुझाने का कार्य करना होगा। उक्त कार्य बल आनलाइन प्लेटफार्मों और उनसे संबन्धित क्रय-विक्रय एवं लेनदेन रिपोर्टिंग अवसंरचना सहित ऋण की विक्रियों/नीलामियों के लिए बाजार की रूपरेखा तैयार करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधक प्रतिभूतिकरण की स्थिति ज्ञात करने हेतु समिति का गठन किया

भारत में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधक प्रतिभूतिकरण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने तथा उक्त बाजार का विकास करने के तौर-तरीके

सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया है। उक्त समिति कानूनी, कर, मूल्य-निर्धारण और लेखांकन से संबन्धित मुद्दों सहित बंधक-समर्थित प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए मौजूदा ढांचे की जांच करेगी। वह प्रवर्तकों और निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक आशोधन सुझाएगी। वह बंधक प्रतिभूतिकारण लिखतों के क्रय-विक्रय हेतु गौण बाजार को सुगम बनाने के लिए निवेशक आधार को व्यापक बनाने तथा बाजार की अवसंरचना को सुदृढ़ करने जैसे उपाय भी सुझाएगी। उक्त समिति को प्रतिभूतिकरण और उससे जुड़े वित्तीय बाजार के अन्य लिखतों के बीच अंतर-सहलग्नताओं का विश्लेषण करने तथा इन अंतर-सहलग्नताओं से लाभ उठाने के लिए नीतिगत अंतराक्षेपण सुझाने का दायित्व सौंपा गया है। उक्त समिति सर्विसरों, न्यासियों, प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया से जुड़ी श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों सहित विविध प्रतिपक्षियों की भूमिकाओं का मूल्यांकन भी करेगी तथा मुख्य ढांचागत, प्रत्ययी एवं सर्विसर जोखिमों से निपटने के उपाय सुझाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 19-20 के प्रथमार्ध हेतु स्वर्ण बांड जारी करने के लिए

5

कैलेंडर जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष के प्रथमार्ध हेतु सावरेन स्वर्ण बांड जारी किए जाने के लिए कैलेंडर घोषित कर दिया है। ये सावरेन स्वर्ण बांड (SGB) जून 2019 से सितंबर 2019 तक प्रत्येक माह जारी किए जाएंगे। ये बांड (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोडकर) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया (SHCIL), अभिहित डाक घरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों यथा भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSEI) लिमिटेड और बंबई शेयर बाजार (BSE) लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे। इन बाँड़ों की पहली शृंखला ((2019-20 श्रेणी) अभिदान हेतु 3 जून को खुलेगी, जबकि 2019-20 श्रेणी II 8 जुलाई को खुलेगी। 2019-20 श्रेणी III और IV क्रमश: 5 अगस्त और 9 सितंबर से खुलेगी। सावरेन स्वर्ण बांड योजना की शुरुआत भौतिक सोने की मांग में कमी लाने तथा सोना खरीदने हेतु प्रयुक्त होने वाली घरेलू बचतों के एक अंश को वित्तीय बचतों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से नवंबर 2015 से की गई थी।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त फ़र्मों को मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने के निदेश दिये

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुधारने की एक मुहिम में अपेक्षाकृत बड़ी आवास वित्त कंपनियों (HFCs) को मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने के निदेश दिये हैं। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली आवास वित्त कंपनियाँ सुस्पष्ट रूप से निर्धारित भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के साथ मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करेंगी। जोखिम प्रबंधन के सर्वोच्च मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवास वित्त कंपनियों के बोर्ड को उस मुख्य जोखिम अधिकारी

की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त नीतियाँ निर्धारित कर लेनी चाहिए, जो सीधे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

सेबी ने परस्परिक निधियों के लिए व्युत्पन्नी बाजार के द्वार खोल दिये

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक ऐसे कदम जो पण्य व्युत्पन्नी

खण्ड (CDS) को महत्वपूर्ण रूप से गहनता प्रदान कर सकता है, के जरिये पारस्परिक निधियों (Mutual Funds) को सोने, चाँदी, कच्चे तेल (crude), ताँबे, ग्वार (guar) मेंथ (menthe) आदि जैसी पण्य व्युत्पन्नियों में सहभागिता करने हेतु मानदंड जारी कर दिये हैं। हालांकि, बारंबार सरकारी दखलंदाजी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन पारस्परिक निधियों को कृषि उत्पादों जैसी संवेदनशील वस्तुओं में क्रय-विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारस्परिक निधियाँ 21 मई से केवल प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (AMCs) द्वारा आरंभ की गई शेयर बाजार में खरीदी बेची जाने वाली स्वर्ण निधियों के माध्यम से सोने और अन्य पण्य व्युत्पन्नियों में उन संकर योजनाओं के माध्यम से सहभागिता कर सकती है, जो वर्तमान में इक्विटी, ऋण और सोने मे निवेश करती हैं।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं के लिए अपने ग्राहक को जानिए मानदंड परिवर्तित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (RIs) के लिए अपने ग्राहक को जानिए के संबंध में अपने मास्टर निर्देश में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। तदनुसार, अब बैंक किसी ऐसे व्यक्ति जो पहचान के उद्देश्य से अपनी आधार संख्या का उपयोग करता है, का आधार अधिप्रमाणन/आफ़लाइन सत्यापन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 'आधार संख्या रखने के प्रमाण' को भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (OVD) की सूची में जोड़ दिया जाएगा। आधार (वित्तीय एवं अन्य आर्थिक सहायता, लाभ एवं सेवाओं की लक्ष्यांकित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अधीन अधिसूचित किसी योजना के अंतर्गत किसी प्रकार के लाभ अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की ग्राहक पहचान के उद्देश्य से बैंक को आधिकारिक रूप से वैध किसी ऐसे दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी जिसमें हाल ही की एक फ़ोटो के साथ उसकी पहचान के विवरण और पते का समावेश हो।

नई नियुक्तियाँ

7

नाम	पदनाम/संगठन
श्री नितिन चुघ	उज्जीवन लघु वित्त बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
पेटीएम	सिटी बैंक	नकदी वापसी चालित क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करना।
भारतीय स्टेट बैंक	श्री श्री तत्व	योनो प्रयोक्ताओं की उनके उत्पादों की समस्त श्रेणी पर 15% की सपाट छूट प्राप्त करने में सहायता करना

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 मई, 2019 के दिन बिलियन रुपए	24 मई, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	29,240.8	4,19,992.1
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,300.1	3,92,188.5
1.2 सोना	1,607.8	23,021.6
1.3 विशेष आहरण अधिकार	100.6	1,445.3
1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	232.3	3,336.7

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जून, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.27500	2.02650	1.96400	1.96100	1.94370
जीबीपी	0.82490	0.8811	0.9004	0.9249	0.9509
यूरो	-0.25610	-0.269	-0.211	-0.166	**-0.088**
जापानी येन	-0.00250	-0.025	-0.039	-0.044	-0.033
कनाडाई डालर	2.20000	1.834	1.801	1.793	1.795

आस्ट्रेलियाई डालर	1.26750	1.220	1.225	1.365	1.425
स्विस फ्रैंक	-0.67000	-0.707	-0.676	-0.611	-0.545
डैनिश क्रोन	-0.18610	-0.1839	-0.1309	-0.0620	0.0182
न्यूजीलैंड डालर	1.49250	1.445	1.459	1.498	1.558
स्वीडिश क्रोन	-0.01500	0.054	0.111	0.178	0.260
सिंगापुर डालर	1.96000	1.855	1.827	**1.828**	1.845
हांगकांग डालर	2.16000	2.005	1.935	1.930	1.930
म्यामार	3.45000	3.450	3.470	3.480	3.510

शब्दावली

आवास वित्त कम्पनियाँ (HFCs)

आवास वित्त कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत हो, जो प्राथमिक तौर पर लेनदेन का व्यवसाय करती हो या जिसका एक प्रधान लक्ष्य आवास के लिए वित्त प्रदान उपलब्ध कराने का व्यवसाय करना हो, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

परिवर्तनीय बांड

एक ऐसा बांड जिसे धारक कंपनी द्वारा जारी शेयरों की निर्धारित संख्या में परिवर्तित करा सके।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून, 2019 के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल

प्रमाणित ऋण व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत भौतिक कक्षा में शिक्षण	27 से 29 जून, 2019 (3 दिन) तक	आईआईबीएफ, पीडीसी, दक्षिण अंचल भौतिक विधि

प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत भौतिक कक्षा में शिक्षण	13 से 15 जून, 2019 तक	आईआईबीएफ, पीडीसी, उत्तर अंचल
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत भौतिक कक्षा में शिक्षण	19 जून से 21 जून, 2019 (3 दिन) तक	आईआईबीएफ, पीडीसी, दक्षिण अंचल भौतिक विधि
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर परीक्षोंपरांत भौतिक कक्षा में शिक्षण	24 से 26 जून, 2019 (3 दिन) तक	आईआईबीएफ, पीडीसी, दक्षिण अंचल भौतिक विधि

संस्थान समाचार

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

मामला अध्ययन प्रतियोगिता

संस्थान एक ऐसी मामला अध्ययन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जो बैंकरों/व्यावसायिकों को जटिल एवं पेचीदी स्थितियों को अतिरंजित करने, सीखने और समझने के लिए मामले तैयार करने के माध्यम से अपनी जानकारी /ज्ञान एवं अनुभव को

बांटने हेतु प्रोत्साहित करने की एक पहलकदमी है। शिक्षाप्रद नोटों से जुड़े ये मामले भारतीय बैंकिंग से संबन्धित विषय-वस्तु पर तैयार किए जाने चाहिए। विषय-वस्तुओं को विशिष्टीकरण के आधार पर योजना I (विशिष्टीकृत क्षेत्र) और योजना II (सामान्य क्षेत्र) के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। योजना II के तहत सहभागी को भारतीय बैंकिंग से संबन्धित किसी अन्य क्षेत्र में भी कोई मामला तैयार करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी।
अधिक विवरण के लिए लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

8वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) की शुरूआत

संस्थान बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्यपालकों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) नामक एक प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन करता है। सत्रों का संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स के कुर्ला, मुंबई स्थित लीडरशिप सेंटर में किया जाता है तथा इनका आयोजन सप्ताहांत में/बैंक अवकाश के दिन किया जाता है। 8वें बैच की शुरूआत जुलाई, 2019 से की जाएगी। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

कारबार संपर्कियों (BCs) का अनिवार्य प्रमाणन दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कारबार संपर्कियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा समयोचितता के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य स्तरों में एकरूपता और
कारबार संपर्कियों की एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी अडचन के बिना भावी सचलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। कारबार संपर्कियों को विषय को बेहतर रीति से
समझना सुगम बनाने के लिए संस्थान द्वारा एक अतिरिक्त शैक्षणिक साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। विषय-वस्तु के विशेषज्ञों द्वारा दिये गए वीडियो व्याख्यान रिकार्ड किए जा रहे हैं तथा वे 15 जनवरी, 2019 के बाद संस्थान के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराये जाएंगे। ये व्याख्यान दो भाषाओं - अंग्रेज़ी और हिन्दी में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, दूसरे प्रयास के लिए परीक्षा शुल्क भी संशोधित करके 800 रुपए के स्थान पर 400 रुपए कर दिया गया है। हालांकि, यह सुविधा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है जो पहले प्रयास से 120 दिनों के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हों। बैंकों द्वारा थोक पंजीकरण केलिए

एक उपयुक्त छूट ढांचा भी तैयार कर लिया गया है।

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क
वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

बैंकों में क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें। **परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा** संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जांच में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान
के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। **अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी।** अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केन्द्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

जुलाई -सितंबर, 2019 के बैंक क्वेस्ट के अंक के लिए अभिज्ञात विषय-वस्तु निम्नानुसार है :

- बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन: जुलाई - सितंबर, 2019

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और

वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2019 से जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2018 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

प्रशिक्षण

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकरियों के लिए विभिन्न विषयों तथा क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

ऋण प्रबंधन	एकीकृत खजाना प्रबंधन
ऋण मूल्यांकन	खुदरा बैंकिंग
ऋण निगरानी	आवास वित्त
वसूली प्रबंधन	जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा
उन्नत ऋण मूल्यांकन	

सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
शाखा प्रबन्धकों का कार्यक्रम
हानि वहन करने वाली शाखाओं के लिए
कायापलट रणनीतियाँ
नेतृत्व विकास कार्यक्रम
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद की रोकथाम
अनुपालन
अनुभवी एवं अर्हताप्राप्त संकाय सदस्य - प्रशिक्षु -उन्मुख पद्धति
शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम

चेन्नै, नयी दिल्ली और कोलकाता स्थित व्यावसायिक विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

कृपया और अधिक विवरण के लिए इनसे संपर्क करें :
डा॰ टी॰ सी॰ जी॰ नंबूदिरी, निदेशक (प्रशिक्षण)
ईमेल: drnamboodiri@iibf.org.in
फोन : 022 25037119; सेल +91 99203 78486

15

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स आईआईबीएफ) कारपोरेट कार्यालय, 3री मंजिल,
अथवा - सुश्री रविता वाधवा, उप निदेशक-प्रशिक्षण कोहिनूर सिटी, कमर्शियल II टावर-I, मुंबई
फोन +91-22-25047112; सेल +9198718 99953 -400 070, भारत www.iibf.org.in
ईमेल ravita@iibf.org.in

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.5
6.4
6.3
6.2
6.1
6
5.9
5.8
5.7
5.6

दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, मई, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

95

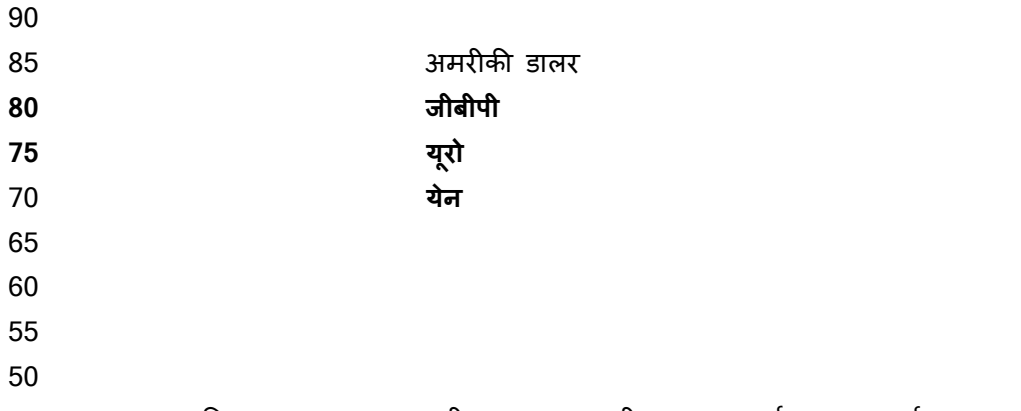

स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

32000.00
30000.00
दिसम्बर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
नवम्बर, 2018, दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2019

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन, जून, 2019